इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 5 अंक सं. : 10 मई, 2013

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति की समीक्षा----------1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------2
बैंकिंग जगत की घटनाएं---------- 2
विनियामकों के कथन ----------4
बीमा ----------5
ग्रामीण बैंकिंग / सहकारी बैंकिंग ---------- 5
विदेशी मुद्रा ----------6
अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
उत्पाद एवं गठजोड़----------7
नयी नियुक्तियां----------7
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं / शब्दावली----------7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7
बाज़ार की खबरें----------8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मौद्रिक नीति 2013-14 - 3 मई 2013 -उल्लेखनीय बातें

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर 25 आधार अंकों की कमी के साथ 7,5 प्रतिशत से घट कर 7,25 प्रतिशत।
- पुनर्खरीद दर से 100 आधार अंक के कम अंतर के साथ निर्धारित चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत प्रति-पुनर्खरीद दर 6.25 प्रतिशत पर अंशांकित हुई।
- पुनर्खरीद दर और बैंक दर से भी 100 आधार अंक से अधिक के अंतर पर निर्धारित सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर 8,25 प्रतिशत पर समायोजित रही।

मौद्रिक और चलनिधि से सम्बन्धित स्थितियां

- वृद्धि के पूर्वानुमानों और रिज़र्व बैंक की मुद्रास्फीति की प्रारंभिक सहनशीलता के अनुरूप 2012-13 की एम वृद्धि नीतिगत उद्देश्यों के लिए 13 प्रतिशत रहने का अनुमान है। फलत: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की समग्र जमाराशियों में 14 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। निजी क्षेत्र की संसाधन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के खाद्येतर ऋण में 15 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
- रिज़र्व बैंक के पास सरकार के चिरस्थायी रूप से अधिक नकदी शेषों और वर्ष के अधिकांश समय में जमा की तुलना में ऋण के उन्नत वृद्धिशील अनुपात के कारण पिछले वर्ष की सम्पूर्ण अवधि में चलनिधि दबाव के अधीन रही। चलनिधि से सम्बन्धित दबाव को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक ने पिछले वर्ष तीन अवसरों पर आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में 75 आधार अंकों की तथा सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) मे 100 आधार अंकों की कमी की। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने खुले बाज़ार के परिचालनों (OMOs) के माध्यम से 1,5 ट्रिलियन रुपये की चलनिधि का निषेचन किया। चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत चलनिधि का निवल निषेचन 28 मार्च, 2013 को 1.8 ट्रिलियन रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच

गया, जिससे वर्षांत की मांग का निरूपण होता है। हालांकि, अप्रैल, 2013 के अंत तक यह घट कर 800 बिलियन रुपये रह गया।

- रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए और मौद्रिक प्रेषण को वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन के अनुरूप पुनर्बलित करने के लिए चलनिधि का सक्रिय एवं उपयुक्त रीति से प्रबन्धन करने का प्रयास करेगा।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

ऋण में विदेशी निवेश हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने नियमों को सरल बनाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 1 अप्रैल और उसके बाद से विदेशी निवेशकों को उपलब्ध होने वाली ऋण सीमा को दो व्यापक श्रेणियों, यथा - सरकारी ऋण और कारपोरेट ऋण में मिला दिया है। विदेशी निवेशक खज़ाना बिलों जैसे दीर्घ और अल्प अवधि दोनों ही प्रकारों सहित सरकारी बॉण्डों में 25 बिलियन अमरीकी डालर तक निवेश कर सकते हैं। इसके पूर्व खज़ाना बिलों में निवेश पर 10 बिलियन अमरीकी डालर तक की सीमाएं लागू होती थीं। कारपोरेट बॉण्डों के सम्बन्ध में यह सीमा 51 बिलियन अमरीकी डालर है, किन्तु विभिन्न प्रकार के निवेशकों और मूलभूत सुविधा जैसे कारपोरेटों के सम्बन्ध में अलग-अलग सीमाएं समाप्त कर दी गई हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी व्युत्पन्नियों के लिए बासेल-III मानदंड स्थगित किए

भारतीय रिज़र्व बैंक ने व्यापार, निपटान से सम्बन्धित मानदंडों के निराकरण के अनिर्णीत रहने के कारण मुद्रा व्युत्पन्नी (Derivatives) खंड के लिए बासेल-III विनियमनों के कार्यान्वयन को अगले वर्ष जनवरी माह तक स्थगित कर दिया है। इस स्थगन को ध्यान में रखते हुए काउंटर पर लेन-देन वाली व्युत्पन्नियों के लिए ऋण मूल्यांकन समायोजन (CVA) जोखिम पूंजीगत प्रभार से सम्बन्धित को छोड़ कर 1 जनवरी को लागू होने वाले सभी अनुदेश बैंकों द्वारा जून, 2013 में समाप्त होने वाली तिमाही से बासेल-III पूंजी अनुपातों के प्रकटन के साथ 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।

किसी भी मानदंड का उल्लंघन करने वाले बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुरमाना

अब भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकों द्वारा किसी भी मानदंड का उल्लंघन किए जाने पर (पूर्ववर्ती 5 लाख रुपये के स्थान पर) उन पर 1 करोड़ रपये की सीमा तक का जुरमाना लगा सकता है। एक से अधिक मानदंड का उल्लंघन किए जाने पर यह जुरमाना 1 करोड़ रुपये के गुणजों में होगा। नये मानदंड बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 46 के संसद के शीतकालीन सत्र में संशोधित कर दिए जाने के बाद प्रभावी हो गए हैं। हालांकि, यह नया जुरमाना केवल तभी लगाया जाएगा, जब इस संशोधन को

अधिसूचित कर दिए जाने के बाद किसी मानदंड के उल्लंघन का पता चले। यह पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं लागू होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के आस्ति-वर्गीकरण मानदंडों को शिथिल करने की संभावना नहीं

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के बारे में शीघ्र ही जारी किए जाने वाले अपने अंतिम दिशार्निदेशों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के आस्ति वर्गीकरण मानदंडों और पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं के बारे में अपने दृष्टिकोण पर कायम रहने की संभावना है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के बारे में जनवरी महीने में जारी दिशानिर्देशों के प्रारूप में यह प्रस्तावित था कि मूलधन या ब्याज की किस्त के (वर्तमान 180 दिन के स्थान पर) 90 दिन से अतिदेय होने पर ऋणों को आवश्यक रूप से अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

1,000 करोड़ रुपये के अशोध्य ऋण आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को

ऋणदाताओं ने 31मार्च, 2013 से पहले आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को 4,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य के समक्ष 1,000 करोड़ रुपये से कम के अशोध्य ऋण बेचे। आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों में उत्साह के अभाव से बैंकों को 3,500 करोड़ रुपये की अनर्जक आस्तियों को नये वित्तीय वर्ष में प्रवेश करते समय उनकी बहियों में बढ़ाने पर विवश होना पड़ेगा। जहां 4,500 करोड़ रुपये के अशोध्य ऋणों को बेचना बैंकरों द्वारा अंतिम तिमाही में उनके तुलनपत्रों को स्वच्छ बनाने के वार्षिक कार्य का एक अंग था, वहीं इस वर्ष बाज़ार में अधिक संख्या में ऋण बिकने को तैयार दिखे। पिछले वित्त वर्ष में बैंकों ने जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान केवल 3,500 करोड़ रुपये के अशोध्य ऋणों की बिक्री की थी।

स्वर्ण ऋण फर्मों के प्रति सतर्कता, किन्तु कोई चलनिधि जोखिम नहीं

अधिकाधिक ऋणों के अनुत्पाद हो जाने के फलस्वरूप बैंक स्वर्ण वित्त कम्पनियों के ऋण जोखिमों के प्रति सतर्क होते जा रहे हैं। उन्होंने सोने की कीमतों में गिरावट होने तथा अधिक चूकों की स्थिति में हानि अवशोषण क्षमता के बारे में आंकड़े मांगवाए हैं। वरिष्ठ बैंक अधिकारियों ने यह मत व्यक्त किया है कि सोने की कीमतों में गिरावट और चूकों में वृद्धि से चलनिधि पर कोई प्रभाव नहीं होगा, हालांकि, कुछेक स्वर्ण ऋण कम्पनियों को उनके लाभ में कमी का सामना करना पड़ सकता है।

इस वित्त वर्ष में उधार जमा वृद्धि को पीछे छोड़ सकता है

बैंकों द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के लिए जमा और ऋण वृद्धि के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमानों को प्राप्त किए जाने की संभावना के बावजूद बैंकरों और विश्लेषकों को वित्त वर्ष 14 में मंद वृद्धि की संभावना दिखाई देती है। जमा और ऋण के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमान क्रमश: 15%

और 16% थे। वित्त वर्ष 14 के लिए ऋण और जमा वृद्धि के क्रमश: 16-17% और 14-15% रहने की संभावना है। वित्त वर्ष 13 में आस्ति गुणवत्ता के बारे में चिंता के कारण बैंक आक्रामक उधार देने से विरत रहे। अनर्जक आस्तियों में बढ़ोतरी, परियोजना कार्यान्वयन में देरी और अर्थव्यवस्था में व्याप्त चतुर्दिक मंदी के बीच इक्विटी बढ़ाने में असमर्थता ने बैंकिंग प्रणाली में ऋण की मांग को प्रभावित किया। हालांकि, खुदरा और लघु एवं मध्यम क्षेत्र वाले उद्यमों को ऋणों मे बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप ऋण वृद्धि के भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमानों के अनुरूप रहने की संभावना है। यूनियन बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री के. सुब्रहमण्यम का कहना है कि इसी प्रकार, वर्षांत में बचत जमाराशियों में वृद्धि के परिणामस्वरूप वृद्धि से सम्बन्धित अनुमानों के भी पूरे होने में सहायता प्राप्त होगी।

बैंकों द्वारा चूक्कर्ता उधारकर्ताओं की आस्तियों पर प्रथम अधिकार की मांग

बढ़ते अशोध्य ऋणों ने बैंकों को वसूली से सम्बन्धित कानूनों में सशौधन की मांग करने हेतु प्रेरित किया है। वे चूककर्ता उधारकर्ताओं की संपार्श्विकों पर अपने दावों पर केन्द्रीय और राज्य के कर प्राधिकारियों के मुकाबले प्राथमिकता चाहते हैं। इस सम्बन्ध में बैंकों ने वसूली से सम्बन्धित दो कानूनों - वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेयसी अधिनियम), 2002 और बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 - में संशोधन की मांग करते हुए सरकार से संपर्क किया है। भारतीय बैंक संघ के मुख्य विधि सलाहकार श्री एम.आर. उमर्जी के अनुसार "व्यवसाय के प्रवर्तक बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋणों से आस्तियों - संयंत्र एवं मशीनरी, भूमि एवं भवन का सृजन करते हैं। अतएव चूककर्ता उधारकर्ताओं से प्राप्य राशियों की वसूली करते समय ऋणदाताओं को प्राथमिकता प्राप्त होना न्यायोचित है। वसूली से सम्बन्धित इन दोनों कानूनों में संशोधन से उस जोखिम विरुचि की समस्या हल हो जाएगी, जो बढ़ते अशोध्य ऋणों के कारण ऋणदाताओं में व्याप्त हो गई है।"

नयी वित्तीय संहिता

बी.एन. श्रीकृष्ण आयोग द्वारा तैयार की गई नयी वित्तीय संहिता के प्रारूप में केन्द्रीय सरकार को "वित्तीय उत्पादों" एवं :वित्तीय सेवाओं" जैसे पदों के अर्थ को बदलने का अधिकार प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। इससे केन्द्र को उन अवैध निवेश योजनाओं को नियंत्रित में सहायता प्राप्त होगी, जो कानूनी ढांचों में मौजूद अंतरों एवं कमियों के माध्यम से विनियमन से बचने का प्रयास करती हैं। इनमें से कई एक ऐसी टट्टू (पोन्जी) योजनाएं होती हैं, जो किसी वास्तविक आर्थिक कार्यकलाप के बिना ही पुराने निवेशकों को नये निवेशकों द्वारा लाई जाने वाली धनराशि से चुकौती करती है। रोपण, इम्यूस और निधि कम्पनियों पर आधारित सहित ऐसी कतिपय योजनाएं अतीत में अंत:स्फुटित हो गईं, जिसके फलस्वरूप निवेशकों को गंभीर हानियां वहन करनी पड़ीं। कोई पोन्जी, विशिष्ट रूप से उस समय

सामने आती है जब नयी धनराशि का प्रवाह रुक जाता है। नयी संहिता में इस खतरे को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है। किसी उत्पाद के "वित्तीय उत्पाद" के रूप में वर्गीकृत कर दिए जाने पर उस लिखत या सुविधा को सम्बन्धित कानूनों के तहत पंजीकृत कराना आवश्यक होगा तथा इस संहिता में

निर्धारित विवेकसंगत एवं ग्राहकोनुकूल मानदंडों का पालन करना होगा।

विनिर्माण कम्पनियों ने उधार कम लिये : उद्योग को ऋण में 14% की बढ़ोतरी

लगता है कि मालसूची (स्टॉक) से दबी और उच्चतर निविष्टि लागतों से प्रभावित विनिर्माण कम्पनियों ने नयी निवेश योजनाओं को ठण्डे बस्ते में डाल दिया है, इसप्रकार ऋण-वृद्धि में एक दशक के निम्न स्तर तक की कमी आ गई है। फरवरी में उद्योग को ऋण उठाव में मात्र 14.7% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 19.1% के मुकाबले कम है। फलत: खाद्येतर ऋण वृद्धि घट कर 14.4% रह गई। विनिर्माण क्षेत्र के भीतर मझोले आकार वाली फर्मों को ऋणों में सर्वाधिक मंदी आई और वे एक वर्ष पहले के 17% से संकुचित हो कर 10% रह गए। इसके विपरीत, सेवा क्षेत्र को ऋणों और खुदरा ऋणों में अच्छी-खासी वृद्धि हुई। फरवरी के अंत में बैंकों ने सेवा क्षेत्र को 10,95,700 करोड़ रुपये के ऋण संवितरित किए थे, जो वर्षानुवर्ष 12.7% की वृद्धि दर्शाता है। नौवहन कम्पनियों को छोड़ कर सेवा क्षेत्र के तहत सभी श्रेणी वाली कम्पनियों को ऋणों में अच्छी गति से वृद्धि हुई। नौवहन कम्पनियों को ऋणों में 30% की गिरावट दर्ज हुई।

वित्त वर्ष 13 में उद्योग, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को ऋणों में सुस्ती

सभी महत्वपूर्ण उद्योग खंडों को बैंक ऋणों में पिछले वर्ष के अधिकांश हिस्से में कमतर वृद्धि दर्ज होने का क्रम जारी रहा, क्योंकि बैंकर अर्थव्यवस्था में मंदी की पृष्ठभूमि में अनर्जक आस्तियों के ्रति सजग हो गए। यहां तक कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने भी, जो बैंकों से भारी मात्रा में उधार लेती रही हैं, बैंक ऋणों में कमी कर दी। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को ऋण में एक वर्ष पहले के 30.9% के मुकाबले फरवरी में वर्षानुवर्ष 16.6% की वृद्धि दर्ज हुई।

ऋण पुनर्व्यवस्था मानदंड पर बैंकों को 15,000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे

वर्ष 2012-13 में बैंकों द्वारा उधार दिए गए प्रत्येक 10 रुपये के लिए एक रुपये से अधिक को पुनर्व्यवस्थित करना पड़ा। पिछले वर्ष कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था कक्ष द्वारा जहां अलग-अलग 76,479 करोड़ रुपये के ऋणों को पुनर्व्यवस्थित किया गया, वहीं बैंकों द्वारा कम्पनियों और व्यक्तियों को 6,35,866 करोड़ रुपये उधार दिए गए थे। अनुमान है कि 31 मार्च के दिन कारपोरेट ऋण पुनर्व्यवस्था कक्ष ने 2.27 लाख करोड़ के 398 मामलों को अनुमोदित किया है।

भारतीय बैंकों की ऋण वृद्धि घट कर 15 वर्ष के न्यून स्तर पर पहुंचेगी

बैंक ऑफ अमेरिका -मेरिल लिंच द्वारा तैयार किए गए एक शोध-नोट के अनुसार 2013-14 में आंशिक रूप से कारपोरेट ऋण वृद्धि में आई गिरावट के 11% से कम के स्तर पर पहुंच जाने के कारण भारतीय

बैंकों की ऋण-वृद्धि के घट कर 13% से कम के 15 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है। मौजूदा ऋण स्रोतों से आहरणों में हुई बढ़ोतरी, नये अनुमोदनों में वर्षानुवर्ष आधार पर 50 और 70% के बीच कमी आने तथा निवेश चक्र के मंद बने रहने के परिणामस्वरूप कारपोरेट ऋण वृद्धि सुस्त रहेगी। अप्रैल-मार्च की अवधि में लघु एवं मध्यम उद्यम खंड में ऋण वृद्धि में भी 5% से कम की 15 वर्ष की न्यून प्रवृत्ति परिलक्षित होती है।

अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को अधिकारों की दरकार

आपके अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों से सम्बन्धित प्रलेखों के अद्यतन न होने पर बैंक आपके खाते पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकते हैं अथवा कुछेक सुविधाएं वापस ले सकत हैं। यह नयी स्थित नवंबर-दिसम्बर 2012 की अवधि में की गई अपने ग्राहक को जानिए से सम्बन्धित एक विशेष लेखा-परीक्षा के दौरान बैंकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक से किए गए एक अनुरोध के प्रत्युत्तर में पैदा हुई है। उक्त लेखा-परीक्षा यह पता चला है कि बैंकों के बहुत से दीर्घकालीन ग्राहक अपने ग्राहक को जानिए मांनदंडों से सम्बन्धित अद्यतन प्रलेख नहीं प्रदान कर रहे हैं। बैंकों द्वारा की जाने वाली अपने ग्राहक को जानिए मांनदंडों से सम्बन्धित लेखा-परीक्षा से तब तक सही स्थिति का पता नहीं चलेगा, जब तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन्हें ग्राहक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए मांनदंडों से सम्बन्धित दस्तावेज़ अद्यतन न कराए जाने पर या तो किसी खाते पर अस्थायी रूप से रोक लगाने या फिर वापस ली जाने वाली बैंक सुविधाओं का विशिष्ट रूप से उल्लेख न करे।

बैंकिंग सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता पुन: जताएं

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने जी-2 के वित्त मंत्रियों का अह्वान किया है कि वे बासेल-III के उन विनियामक सुधारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुन: जताएं जिनका उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में विनियमन, पर्यवेक्षण और जोखिम प्रबन्धन में सुधार लाना है। जी-20 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं तथा यूरोपीय संघ का एक समूह है। बासेल-III का पूर्णत:, सामयिक और निरंतर कार्यान्वयन एक लचीली वित्तीय प्रणाली निर्मित करने, विनियामक अनुपातों में जनता के विश्वास को बनाए रखने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय बैंकों को समान अवसर उपलब्ध कराने का मूल तत्व बना हुआ है।

वित्त मंत्री का बैंकों से आह्वान : मार्च, 2014 तक निवल अनर्जक आस्तियां घटा कर 1% पर लाएं

सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए कठिन लक्ष्य नियत करते हुए वित्त मंत्री ने उन्हें वसूली प्रक्रिया में शीघ्रता लाने और निवल अनर्जक आस्तियों को वित्त वर्ष 31 मार्च, 2014 तक घटा कर उनके कुल अग्रिमों के 1% तक लाने का निदेश दिया है। वे एक विशिष्टीकृत वसूली शाखा या वे जिसे उचित समझें उस विधि के माध्यम से वैसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां

एक वर्ष पहले के 3.22% की तुलना में दिसम्बर, 2012 के अंत तक बढ़ कर कुल अग्रिमों की 4.18% हो गईं।

निवल अनर्जक आस्तियां दिसम्बर, 2012 में बढ़ कर 2.12% हो गईं। निरपेक्ष दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सकल अनर्जक आस्तियां मार्च, 2012 में 1,37,102 करोड़ रुपये की तुलना में उछल कर दिसम्बर, 2012 में 1,84,193 करोड़ रुपये हो गईं, जिससे 47,091 करोड़ रुपये की वृद्धि परिलक्षित होती है।

इस वित्त वर्ष में अनर्जक आस्ति सम्पत्तियों की 1 लाख से अधिक ई-नीलामियों की संभावना

बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे अनर्जक आस्ति सम्पत्तियों को बेचने के लिए 2013-14 के दौरान 1 लाख से अधिक ई-नीलामियों के लेन-देन करें। NPAsource,com (दबावग्रस्त आस्तियों के निराकरण पर ध्यान केन्द्रित रखने वाले एक पोर्टल) के अनुसार इस ई-नीलामी मार्ग के माध्यम से निवासीय, कृषिक, वाणिजयिक और औद्योगिक सम्पत्तियों की बिक्री की जा सकती है, जिनमें से पहली दो श्रेणियों की हिस्सेदारी में लेनदेनों की सर्वाधिक संख्या शामिल है। वित्त मंत्रालय द्वारा सभी वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों (DRTs) के तहत सभी अनर्जक आस्ति वाले मामलों के लिए भौतिक नीलामियों के स्थान पर ई-नीलामियों का मार्ग अपनाना अनिवार्य कर दिए जाने के फलस्वरूप वर्ष 2013-14 में ई-नीलामियों में तेजी आएगी।

कारबार संपर्की (BC)विधि के साथ बैंकिंग संयोजकता में उछाल

बैंकिंग संयोजकता मार्च, 2010 में 67,000 गांवों से उछल कर दिसम्बर, 2012 में 2,11, 000 गावों तक पहुंच गई है। देश में कुल मिला कर लगभग 6,00,000 गांव हैं। यह वृद्धि व्यापक तौर पर कारबार संपर्कियों (BCs) और अन्य वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से किन्तु शाखा मॉडेल से उतनी अधिक नहीं, हासिल की गई।

बैंकों द्वारा परिपक्वता तक धारि बॉण्डों पर कमतर सीमा की मांग

बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक से उनके निवेश संविभाग में मौजूद उन बॉण्डों की मात्रा पर सीमा को घटाने की मांग की है, जिन्हें परिपक्व होने तक रखना आवश्यक होता है। इससे उन्हें व्यापार के लिए अधिक बॉण्ड मुक्त करने तथा बॉण्ड की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति में लाभ अर्ज़ित करने में सहायता प्राप्त होगी। बैंकों ने परिपक्वता तक धारित (HTM) श्रेणी में अधिकतम सीमा को 25 % से घटा कर 23% किए जाने की मांग की है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक ऋणों को प्रथमिकता क्षेत्र की हैसियत कायम रखें

एक दीर्घ-कालिक नीतिगत प्रणाली और गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को दिए गए बैंक ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के रूप में मान्यता देना गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा भारतीय रिज़र्व

बैंक से की गई मुख्य मांगों में से कुछेक हैं। वित्तीय समावेशन विकास परिषद के महा निदेशक श्री महेश ठक्कर का कहना है कि इससे गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंकों से सस्ती दरों पर निधियां प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। इसके पूर्व बैंकिंग विनियामक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंक उधार के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के दर्जे से वंचित कर दिया था। इस प्रकार गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के पास निधियों की उच्च लागत को उच्चतर उधार दरों के रूप में ग्राहकों पर डाल देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसके अलावा गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों ने विदेशी बाज़ारों से अपेक्षाकृत सस्ती निधियां प्राप्त करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) मानदंडों को और अधिक उदारीकृत बनाने का भी अनुरोध किया है।

विनियामकों के कथन

मुद्रास्फीति-सूचकाकित बॉण्ड जारी किए जाने की संभावना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घरेलू बचतों को उच्च मुद्रास्फीति से संरक्षित करने के लिए मुद्रास्फीति-सूचकाकित बॉण्ड (IIB) जारी किए जाने की संभावना है। इस बॉण्ड में खुदरा निवेशक की अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रावधानों सहित दिशानिर्देश भी जाी किए जाएंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान ने कहा कि इन बॉण्डों की अवधि 7-15 वर्षों की हो सकती है और ये सरकार के उधार कार्यक्रम के अंग होंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक गृह मूल्य के डाटाबेस को व्यापक बनाने की तैयारी में

भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य चीजों के साथ ही मूल्य की तुलना में ऋण (LTV) अनुपात और आय की तुलना में समीकृत मासिक किस्त के अनुपात पर निगरानी रखने के लिए अपने डाटाबेस को और अधिक व्यापक बनाने की दिशा में काम कर रहा है। किसी व्यक्ति की गृह ऋण की वहनीयता और उस ऋण को चुकाने के उसके सामर्थ्य का निर्धारण करने की दृष्टि से ये मापदंड महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मोहन्ती का कहना है कि "हम चुनिंदा बैंकों एवं आवास वित्त कम्पनियों से एकत्रित चुनिदा शहरों से आवास ऋण के आंकड़ों पर आधारित मूल्य की तुलना में ऋण के अनुपात, आय की तुलना में समीकृत मासिक किस्त के अनुपात को शामिल करते हुए मकान जैसी आस्ति की कीमत पर निगरानी की एक प्रणाली विकसित कर रहे हैं। स्थूल- विवेकसंगत विनियमनों को लागू करने के अलावा आवास वित्त में जोखिमों को कम करने के लिए अपेक्षाकृत लम्बी परिपक्वता वाले निश्चित दर वाले आवास ऋण उत्पाद विकसित किए जाने की आवश्यकता है।"

विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप

11

भारतीय रिज़र्व बैंक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए विदेशी मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप करता रहा है। तथापि, भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव चेतावनी देते हैं कि "इस कार्रवाई में जोखिम निहित हैं, आप विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां गंवा सकते हैं और मुद्रा के सम्बन्ध में कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। आपकी प्रारक्षित निधियों की गिरावट जितनी कम हो, आप उतने ही अधिक असुरक्षित होते हैं। और प्रारक्षित निधियों के घट कर बाज़ार तक पहुंच को पुन: प्राप्त करने के लिए आवश्यक माने जाने वाले स्तर से भी कम हो जाने पर यह सुभेद्यता अत्यधिक गंभीर हो सकती है।"

दीर्घकालिक वृद्धि के लिए मूल्य-स्थिरता आवश्यक

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने कहा है कि "दीर्घकालिक दृष्टि से स्थिर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए मूल्य-स्थिरता आवश्यक है, क्योंकि इससे निवेशकों और उपभोक्ताओं को सुविज्ञ निर्णय लेने में सहायता प्राप्त होती है। अल्पकालीन दृष्टि से कुछ समझौताकारी समन्वय हो सकते हैं, किन्तु मध्यकालिक और दीर्घकालिक दृष्टि से वृद्धि को प्रोत्साहित करने की एक आवश्यक शर्त के रूप में निवेशकों और उपभोक्ताओं को सुविज्ञ विकल्प चुनने में समर्थ बनाने के लिए आपको मूल्य स्थिरता की जरूरत होती है।" मुद्रास्फीति वृद्धि से बड़ी समस्या है क्या इस बात पर अपना मत व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि "मैं बड़ी या छोटी नहीं कहूंगा। आपको द्रुत वृद्धि की आवश्यकता है और आपको मूल्य स्थिरता वाले वातावरण की भी आवश्यकता है, जो वृद्धि लिए एक आवश्यक शर्त है। यह मानना व्यर्थ होगा कि आप तीव्र मुद्रास्फीति के समय में वृद्धि को बनाए रख सकते हैं।"

बैंकिंग संहिता में वित्तीय समावेशन शामिल किया जा सकता है

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. कें. सी. चक्रवर्ती के अनुसार शीर्ष बैंक वित्तीय समावेशन को ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता संहिता में समाविष्ट किए जाने की संभावना का पता लगा रहा है। वित्तीय समावेशन मुख्य धारा वााले संस्थागत प्रतिस्पर्धियों द्वारा कमजोर वर्गों और कम आय वर्गो वाले लोगों जैसे सुभेद्य समूहों की उपयुक्त वित्तीय उत्पादो एवं सेवाओं - जमा खातों, भुगतान सेवाओं, सूक्ष्म-ऋण और सूक्ष्म स्तर वाले बीमे - तक पहुंच को सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है।

बीमा

की गई यात्रा की दूरी के अनुसार मोटर बीमे का भुगतान करें

कार-मालिकों को शीघ्र ही यह विकल्प प्राप्त हो सकता है कि वे उनके द्वारा तय की गई यात्रा के अनुपात में बीमा सुरक्षा खरीदें। बीमा कम्पनियां पायलट चला कर 'तय दूरी के अनुसार बीमे का भुगतान करने वाले मॉडेल का परीक्षण कर रही हैं। डाटा पर निगरानी वाहनों में जीपीएस उपकरण लगा कर रखी जा रही है। जीपीएस उपकरण माइलेज और जिन सड़कों पर वाहन चलाया गया है उनके आधार

पर डाटा एकत्रित करता है। फ्यूचर जेनरली इंश्योरेंस के प्रबन्ध निदेशक - मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री के.जी. कृष्णमूर्ति राव स्पष्ट करते हैं कि "मूल विचार है ऐसा न्यूनतम प्रीमियम वसूल करना , जिसमें 30 दिनों की ड्राइविंग शामिल की जा सके। पूरे वर्ष के प्रीमियम का अग्रिम रूप में भुगतान करने की बजाय पॉलिसी धारक उसके उपयोग के अनुसार भुगतान कर सकता है। उपयोग के कम होने पर शेष रकम वापस की जा सकती है।" बीमा कम्पनी इस सुरक्षा की कीमत इनमें से प्रत्येक मापदंड के आधार पर निर्धारित करेगी। इस पायलट का संचालन करने वाली पहली कम्पनी यू.के स्थित सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी लॉजिका की भागीदारी में फ्यूचर जेनरली ही थी।

पुनर्बीमा मानदंड निवेशकों को विरत करेंगे

बीमा संघों के वैश्विक महासंघ (GFIA) ने मत व्यक्त किया है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा देश के भीतर पुनर्बीमा व्यवसाय के प्रतिधारण को अधिकतम करने हेतु निर्धारित सीमाओं से बीमाकर्ताओं की स्वतंत्रता बाधित होगी। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने पुनर्बीमाकर्ताओं को समर्पित जोखिमों का निर्धारण 1 लाख रुपये से 30 लाख रुपये की श्रेणी में किया है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने यह अनिवार्य कर दिया है कि पुनर्बीमाकर्ताओं को प्राप्त कुल प्रीमियमों की तुलना में उनके कुल बीमा प्रीमियमों के सभी बचत उत्पादों के मामले में 2% और मीयादी बीमा / स्वास्थ्य उत्पादों के मामले में 30% से अधिक होने पर उनके पुनर्बीमा कार्यक्रम की रिपोर्ट देनी होगी। पुनर्बीमा तक पहुंच को सीमित करने से जोखिम के प्रति उनकी अनाश्रयता को घटाने में बीमाकर्ताओं का सामर्थ्य बाधित होता है, जबकि उसके साथ ही उनकी पूंजी आवश्यकताओं मे वृद्धि आवश्यक हो जाती है। बीमा संघों के वैश्विक महासंघ (GFIA) ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) और वित्त मंत्रालय को सम्बोधित एक पत्र में यह कहा है कि "उच्चतर प्रतिधारण सीमाओं के परिणामस्वरूप बीमाकर्ताओं के बीच उनके हामीदारी से सम्बन्धित कार्य-निष्पादन की अनदेखी करते हुए जोखिमों का संयोजन भी होता है। ये कारक वैयक्तिक रूप से और उससे भी अधिक एक साथ मिल कर मौजूदा भारतीय बीमाकर्ताओं के क्षमता- विकास को अवरुद्ध करते हैं तथा नये निवेशकों को बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने से विरत करते हैं।"

जीवन बीमाकर्ताओं के समक्ष इस वर्ष विनियामक अड़चनें उपस्थित

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वार जारी नये उत्पादों से सम्बन्धित दिशानिर्देशों में बीमाकताओं से यह अपेक्षित है कि वे मौजूदा सभी उत्पादों को वापस लें और उन्हें अक्तूबर, 2013 तक पुन: प्रस्तुत करें। इन दिशानिर्देशों मे सूचकांक-सम्बद्ध उत्पादों (परिवर्तनशील बीमा उत्पादों) में परिवर्तन भी आवश्यक बनाए गए हैं, जिन्हें प्रभारों, प्रतिफल में कमी, व्यतिक्रम की शर्तों, अभ्यर्पण मूल्य

और शून्य-रहित प्रतिलाभ प्रदान करने की दृष्टि से यूनिट-सम्बद्ध उत्पादों (Ulips) के समकक्ष माना जाएगा।

13

ग्रामीण बैंकिंग

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को निजी पूंजी प्राप्त करने की अनमुति दी जा सकती है

संसद द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) विधेयक को अनुमोदित कर दिए जाने पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को शेयर बाज़ारों में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जा सकती है। वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत उक्त विधेयक का उद्देश्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 को संशोधित करना है। प्रस्तावित संशोधनों में से एक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी जुटाने हेतु प्रावधान करना है। हालांकि, केन्द्रीय सरकार और प्रायोजक बैंक की संयुक्त शेयरधारिता किसी भी स्थिति में 51% से कम नहीं होनी चाहिए।

सहकारी बैंकिंग

सहकारी बैंक गैर-जमानती उधार देंगे

भारतीय रज़िर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन बढ़ाने के एक अभियान में शहरी सहकारी बैंकों को उनकी आस्तियों के 25% तक गैर-जमानती ऋण देने की अनुमति प्रदान की है। हालांकि, शहरी सहकारी बैंकों को इस सुविधा को प्राप्त करने हेतु कुछेक शर्तें पूरी करनी होंगी, यथा - सम्पूर्ण ऋण संविभाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को समर्पित करना, 9% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना, सकल अशोध्य ऋणों को 10% से कम के स्तर पर रखना आदि।

विदेशी मुद्रा

उच्च घरेलू ब्याज दरों के कारण अनिवासी जमाराशियों में 37% की वृद्धि

अनिवासी भारतीयों (NRIs) ने अपने देश में उनके बैंकों से प्राप्त किए जा रहे प्रतिलाभ में विश्वास को बनाए रखा है। वित्त वर्ष के पहले ग्यारह महीनों में बैंकिंग प्रणाली में अनिवासी भारतीयों की जमाराशियों में 37% (एक वर्ष पहले की अवधि में 9,733 बिलियन अमरीकी डालर के समक्ष 13.379 बिलियन अमरीकी डालर) की वृद्धि हुई। अनिवासी भारतीय जमाराशि में यह अभिवृद्धि मात्र अनिवासी (विदेशी) रुपया खाते या अनिवासी विदेशी खाते में हुई। रिपोर्टिंग की अवधि में अनिवासी विदेशी जमाराशियों में 161% का भारी उछाल आया, जो (एक वर्ष पहले की अवधि में 5.854 बिलियन अमरीकी डालर के

मुकाबले) 15,271 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गई। अनिवासी भारतीय अनिवासी विदेशी जमाराशियों में धन क्यों जमा कर रहे हैं इसका एक अन्य कारण है रुपये में लीक से हट कर मूल्यवृद्धि की प्रत्याशा, जिसके द्वारा वे उस समयं लाभ में रहेंगे जब जमाराशि परिपक्व होगी।

अप्रैल 2013 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.70450	0.359	0.452	0.603	0.815
जीबीपी	0.88688	0.5928	0.6496	0.7520	0.8990
यूरो	0.39857	0.392	0.477	0. 596	0.752
जापानी येन	0.44286	0.265	0.303	0.348	0.403
कनाडाई डालर	1.76250	1.287	1.364	1.471	1.585
आस्ट्रेलियाई डालर	3.51000	2.778	2.920	3.120	3.255
स्विस फ्रैंक	0.24940	0.105	0.170	0.278	0.391
डैनिश क्रोन	0.49700	0.5620	0.6460	0.7680	0.920
न्यूजीलैंड डालर	2.69000	2.810	3.018	3.155	3.300
स्वीडिश क्रोन	1.19900	1.249	1.358	1.466	1.583
सिंगापुर डालर	0.45300	0.415	0.550	0.628	0.790
हांगकांग डालर	0.44000	0.460	0.530	0.650	0.820
एमवाईआर	3.22000	3.220	3.260	3.300	3.360

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	**22 मार्च, 2013 के दिन**	**22 मार्च, 2013 के दिन**
	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	16, 093, 5	2 96,370 6
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14, 335.0	264,027. 8
ख) सोना	1, 397, 4	25, 692. 09
ग) विशेष आहरण अधिकार	235, 9	4, 342.2

घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	125.3	2, 308.6

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश :)

दबाव-परीक्षण पर चर्चा को जारी रखते हुए हम चौथे और पांचवें सिद्धांत को समझेंगे।

4. दबाव परीत्रण कार्यक्रम को अभिशासित करने के लिए बैंक के पास लिखित नीतिया और कार्यविधियां होनी चाहिए। कार्यक्रम के परिचालन को उपयुक्त रीति से प्रलेखित किया जाना चाहिए। दबाव परीक्षण कार्यक्रम आंतरिक नीतियों उन कार्यविधियों द्वारा अभिशासित होने चाहिए जो यथोचित विधि से प्रलेखित हों।

कार्यक्रम को विशेष रूप से फर्म-व्यापी दबाव-परीक्षणों के अनुरूप प्रलेखित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित पहलुओं को स्पष्ट किया जाना चाहिए : (i) दबाव-परीक्षण का प्रकार तथा कार्यक्रम के प्रत्येक घटक का मुख्य उद्देश्य (ii) उस दबाव-परीक्षण कार्य की आवृत्ति जिसके प्रकार एवं उद्देश्य के आधार पर भिन्न होने की संभावना है (iii) सम्बन्धित परिदृश्यों की परिभाषा के तौर-तरीकों तथा विशेषज्ञ निर्णयों की भूमिका सहित प्रत्येक घटक की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित विवरण और (iv) दबाव वाली स्थितियों में सुधारात्मक कार्रवाइयों की व्यवहार्यता के मूल्यांकन सहित दबाव-परीक्षण के उद्देश्य, प्रकार एवं परिणाम के आधार पर परिकल्पित उपचारात्मक कार्रवांइयों का प्रभाव-क्षेत्र। हालांकि, प्रलेखन की आवश्यकताओं को बैंक को ऐसे तदर्थ लचीले दबाव-परीक्षण करने में समर्थ बनने में अड़चन नहीं डालनी चाहिए जिन्हें उनकी प्रकृति के अनुसार शीघ्रतापूर्वक पूरा किया जाना और प्राय: उभरते जोखिम वाले मुद्दों पर अनुक्रिया करने की आवश्यकता हो।

बैंक को प्रत्येक दबाव-परीक्षण अभ्यास से सम्बन्धित मान्यताओं और मूल तत्वों को प्रलेखित करना चाहिए। इनमें चयनित परिदृश्यों के आधारभूत कारणों एवं निर्णयों तथा उन परिदृश्यों के प्रभाव-क्षेत्र एवं गंभीरता के प्रति दबाव-परीक्षण परिणामों की संवेदनशीलता शामिल होती है। इस प्रकार की मूलभूत मान्यताओं का मूल्यांकन नियमित आधार पर अथवा बदलती बाहरी स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को इस प्रकार के मुल्यांकनों के परिणामों को प्रलेखित करना चाहिए।

5. बैंक के पास एक ऐसी उपयुक्त रूप से सुदृढ़ आधारभूत सुविधा होनी चाहिए जो विभिन्न एवं संभवत: बदलते दबाव-परीक्षणों को दानेदारी के उपयुक्त स्तर पर संभव बनाने की दृष्टि से पर्याप्त रूप से लचीली हो।

समानुपातिकता के सिद्धांत के अनुरूप बैंक के पास यथोचित रूप से लचीली आधारभूत सुविधा और उसके साथ ही उपयुक्त गुणवत्ता एवं दानेदारी वाले आंकड़े होने चाहिए। उक्त आधारभूत सुविधा से बैंक को सामयिक आधार पर इस प्रकार समर्थ होना चाहिए कि वह किसी निश्चित जोखिम कारक, उत्पाद या प्रतिपक्ष के प्रति अपनी अनाश्रयताओं को संयोजित कर सके तथा यथा-आवश्यक नये परिदृश्यों को लागू करने के लिए तौर-तरीकों को आशोधित कर सके।

उक्त आधारभूत सुविधा को दबाव के समय पर विशिष्ट जोखिमों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से व्यवसाय लाइन या फर्म़-व्यापी स्तर पर लक्ष्यांकित अथवा तदर्थ दबाव-परीक्षण करने मे समर्थ बनाने की दृष्टि से भी पर्याप्त रूप से लचीली होना चाहिए। ग्राहकीकृत एवं परिवर्तनशील दबाव-परीक्षण

करने तथा संपूर्ण बैंक में तुलनीय जोखिमों एवं अनाश्रयताओं को संयोजित करने की दृष्टि से प्रणाली का लचीलापन महत्वपूर्ण होता है।

उत्पाद एवं गंठजोड़

संगठन	**जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ**	**उद्देश्य**
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI)	एसएफडी इजिप्ट, विश्व बैंक	समझौता ज्ञापन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और उसके सहयोगियों को एसएफडी को 3 वर्ष की अवधि तक परामर्शी सेवाएं प्रदान करने तथा इजिप्ट में सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए एक ऋण गारंटी प्रणाली स्थापित करने में समर्थ बनाता है।
महिन्द्रा फाइनैन्सियल	टोयोटा किर्लोस्कर मोटर	उनके संभाव्य ग्राहकों को वाहन खुदरा वित्त प्रदान करने के लिए

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
सुश्री अर्चना भार्गव	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
श्री राकेश भाटिया	प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कैथलिक सीरियन बैंक
श्री वी.एस. कृष्ण कुमार	कार्यपालक निदेशक, केनरा बैंक
श्री कृष्ण कुमार गोयल	अध्यक्ष, कॉसमॉस बैंक

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

प्रतिरक्षण लेनदेन

लेनदेन का एक ऐसा प्रकार जो विकल्प और भावी सौदे (फ्यूचर्स) संविदाओं जैसी व्युत्पन्नियों के उपयोग के साथ निवेश जोखिम को सीमित कर देता है। प्रतिरक्षण लेनदेन किसी व्यापार के सम्बन्ध में एक निश्चित मात्रा में लाभ या हानि सुनिश्चित करने के लिए बाज़ार में विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय

की प्रतिकूल स्थितियां खरीदते हैं। उनका उपयोग पोर्टफोलियो प्रबन्धकों द्वारा पोर्टफोलियो जोखिम और अस्थिरता अथवा अवरुद्ध लाभों को घटाने के लिए किया जाता है।

शब्दावली

ऋण मूल्यांकन समायोजन (CVA)

ऋण मूल्यांकन समायोजन (CVA) जोखिम रहित पोर्टफोलियो मूल्य और उस वास्तविक पोर्टफोलियो मूल्य के बीच वाला अंतर है जो किसी प्रतिपक्ष की चूक को हिसाब में लेता है। इसप्रकार, ऋण मूल्यांकन समायोजन (CVA) प्रतिपक्ष के ऋण जोखिम का बाज़ार मूल्य होता है। एकपक्षीय ऋण मूल्यांकन समायोजन (CVA) बट्टाकृत हानि की जोखिम -निरावेशित प्रत्याशा द्वारा दिया जाता है। जोखिम-निरावेशित प्रत्याशा को इस प्रकार लिखा जा सकता है :

$$cva = EQ [L^*] = (1- R)$$

जिसमें T पोर्टफोलियो में लम्बे लेनदेन की स्थिति है, B (t) t परिपक्वता के लिए आज के दिन प्रचलित ब्याज दर पर निवेश की गई मूल मुद्रा की एक इकाई का भावी मूल्य है, R पोर्टफोलियो मूल्य का वह अंश है, जो चूक की स्थिति में वसूल किया जा सकता है, T चूक का समय है और PD (s,t) s और t समयों के बीच में प्रतिपक्ष की चूक की जोखिम-निरावेशित संभाव्यता है। ये संभाव्यताएं (सीडीएस) अंतरों की अवधि संरचना से प्राप्त की जा सकती हैं।

संस्थान की गतिविधियां

मई, 2013 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण की गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	5वां ऋण मूल्यांकन (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अग्रिम)	6 से 10 मई, 2013 तक
2	आवास वित्त पर 2रा कार्यक्रम	13 से 15 मई, 2013 तक
3	4था कार्यक्रम लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तीयन	27 से 31 मई, 2013

अप्रैल, 2013 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि

1	अपने ग्राहक को जानिए / धन शोधन निवारण / आतंकवाद का मुकाबला पर 2रा कार्यक्रम	15 से 17 अप्रैल, 2013 तक
2	बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स और राष्ट्रीय बैंक प्रबन्धन संस्थान द्वारा बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में संयुक्त रूप से संचालित 1ला कार्यपालक विकास कार्यक्रम (BEP)	22 से 27 अप्रैल 2013 तक
3	सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा और साइबर अपराधों पर 2री एक-दिवसीय कार्यशाला	22 अप्रैल, 2013

संस्थान समाचार

ग्राहक सेवा पर संगोष्ठी

- संस्थान ने 22 अप्रैल, 2013 को लखनऊ में "ग्राहक सेवा" पर 6ठी संगोष्ठी का आयोजन किया था। मुख्य व्याख्यान भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) के अध्यक्ष श्री ए.सी. महाजन द्वारा दिया गया। इसके बाद 3 बैंकों के उप महा प्रबन्धकों द्वारा पैनल विचार-विमर्श आयोजित किया गया। समापन व्याख्यान भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ की महा प्रबन्धक सुश्री शिखी शर्मा द्वारा दिया गया। उक्त संगोष्ठी में 110 सहभागियों ने भाग लिया।

- संस्थान ने 23 अप्रैल, 2013 को नयी दिल्ली में "ग्राहक सेवा" पर 7वीं संगोष्ठी का आयोजन किया था। मुख्य व्याख्यान भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) के अध्यक्ष श्री ए.सी. महाजन द्वारा दिया गया। इसके बाद 3 बैंकों के महा प्रबन्धकों द्वारा पैनल विचार-विमर्श आयोजित किया गया। समापन व्याख्यान भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री दीपक सिंघल द्वारा दिया गया। उक्त संगोष्ठी में 129 सहभागियों ने भाग लिया।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12 * प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रेषित * प्रेषण की तिथि प्रत्येक महीने की 25वीं से 30वीं तारीख

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

ई-मेल के माध्यम से आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने आईआईबीएफ - विज़न उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करा रखे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते यथाशीघ्र पंजीकृत करा लें। आईआईबीएफ - विज़न संस्थान के पोर्टल में डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

"बैंक क्वेस्ट" का मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के कथन वाल अंक

"बैंक क्वेस्ट" के अप्रैल-मार्च अंक में बैंकिंग से सम्बन्धित विविध मुद्दों पर 20 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशकों / मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के विचार शामिल किए गए हैं। इन्हें डाउनलोड करने हेतु www.iibf.org.in. देखें।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

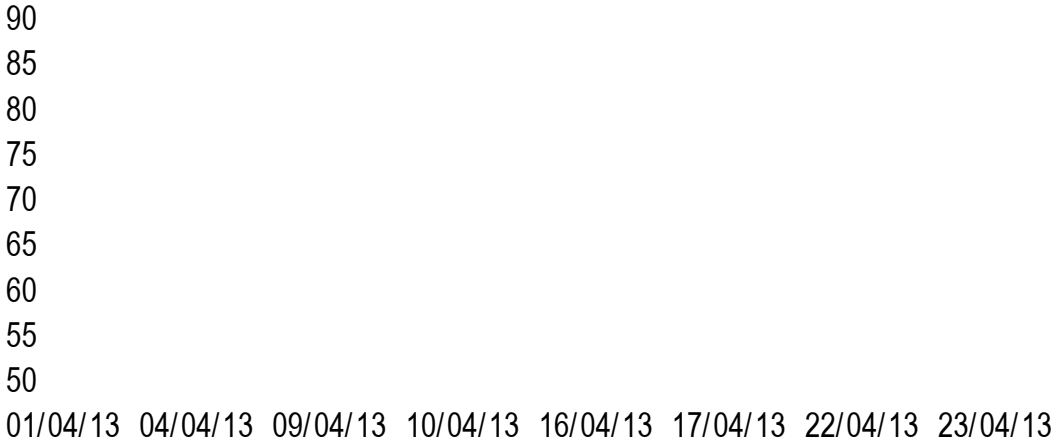

25/04/13 29/04/13

अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्त्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- 2री अप्रैल को रुपया प्रति डालर 54.27 पर बंद हुआ।
- 15वीं को रुपया एक माह पहले के न्यून स्तर पर बंद हुआ, क्योंकि वस्तुओं की लड़खड़ाती कीमतों ने वैश्विक जोखिम मुद्राओं को प्रभावित किया , किन्तु अपेक्षित से कमतर मुद्रास्फीति के आंकड़ों से इस आशय की आशाएं बढ़ीं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अगले माह में ब्याज दरों में कटौती करेगा। रुपया 10 पैसे लुिढ़क कर प्रति डालर 54.63 पर बंद हुआ।
- अमरीकी डालर रुपये के समक्ष सस्ता हो कर प्रति डालर 54.22 /23 पर पहुच गया, किन्तु 25वीं को अंतर -बैंक विदेशी मुद्रा बाज़ार के बंद होते समय पौंड-स्टर्लिंग 83.73/75 प्रति पौंड के स्तर पर मंहगे रहे।
- माह के दौरान पौंड और यूरो के समक्ष रुपये में मामूली मूल्यह्रास हुआ, जबकि जापानी येन के समक्ष मूल्यवृद्धि परिलक्षित हुई। डालर कर समक्ष श्रेणीबद्ध बना रहा।

भारित औसत मांग दरें

8
7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8

02/04/13 03/04/13 06/04/13 08/04/13 09/04/13 10/04/13 13/04/13 15/04/13 16/04/13

स्त्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- 3 और 13 अप्रैल को अधिशेष चलनिधि के दौरों के फलस्वरूप मांग दरें श्रेणीबद्ध बनी रहीं।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

19600
19400

19200
19000
18800
18600

18400
18200
18000
17800
17600

01/04/13 02/04/13 08/04/13 09/04/13 10/04/13 12/04/13 16/04/13 23/04/13 25/04/13 26/04/13 29/04/13

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न मई, 2013